क्रम-संख्या— 15 (ख—4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जनवरी, 2013
माघ 9, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग—3
संख्या—104 जे0एल0 / 22—3—2013—21जी / 1989
लखनऊ, 29 जनवरी, 2013

प0आ0—669

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन 1974) की धारा 432 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 मे संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ;(बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–3 का संशोधन– 2. उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम –3 के स्थान पर नीचे स्तम्भ –2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1–(वर्तमान नियम)		स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)	
3–(1)	सरकार किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्बन एक माह तक निम्नलिखित आधारों पर कर सकती है:–	3–(1)	सरकार किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्वन एक माह तक निम्नलिखित आधारों पर कर सकती है:–
(क)	बंदी के माता, पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन की बीमारी या	(क)	बंदी के माता–पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन की बीमारी; या
(ख)	खण्ड (क) में उल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु या	(ख)	उप खण्ड (क) में उल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु; या
(ग)	पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह	(ग)	पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह;
(घ)	अपनी निजी भूमि पर कृषि की बुआई या कटाई के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिये कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो	(घ)	अपनी निजी भूमि पर कृषि की बुआई या कटाई के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिये कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो।
(ड.)	अपने मकान की आवश्यक मरम्मत के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिये कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो।	(ड.)	अपने मकान की आवश्यक मरम्मत के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिये कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो;
(2)	सरकार विशेष परिस्थितियों में उप नियम–(1) में निर्दिष्ट दण्डादेश के निलम्बन की अवधि को एक माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।	(2)	सरकार विशेष परिस्थितियों में उप नियम–(1) में निर्दिष्ट दण्डादेश के निलम्बन की अवधि को एक माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

		(3)	बंदी से संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट 72 घंटे तक की अवधि के लिए निम्नलिखित आधारों पर किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्बन कर सकता है;
		(क)	माता, पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन की मृत्यु ;
		(ख)	पुत्र, पुत्री, भाई अथवा बहिन का विवाह।

आज्ञा से,
राकेश,
सचिव,
गृह कारागार।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of notificaition no- 104 JL/22-3-2013-21G/1989, January 29, 2013

No- 104 JL/22-3-2013-21G/1989
Dated Lucknow , January 29, 2013

In exercise of the powers conferred by sub-section(5) of section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of The General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the Uttar Pradesh (Suspension of Sentences of Prisoners) Rules' 2007:-

THE UTTAR PRADESH (SUSEPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2012.

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called THE UTTAR PRADESH (SUSEPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2012.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule -3 - In the Uttar Pradesh (Suspension of Sentences of Prisoners) Rules, 2007 for rule-3 set out in column-I below, the rule as set out in column-II below shall be substituted, namely:-

Column-I		Column-II	
Existing rules		*Rules as hereby substituted*	
3.(1)	The Government may suspend the sentences of a prisoners upto one month on the following grounds:-	**3.(1)**	The Government may suspend the sentences of a prisoners upto one month on the following grounds:-
(a)	Illness of prisoner's parents, husband or wife, son, daughter, brother or sister, or	**(a)**	Illness of prisoner's parents, husband or wife, son, daughter, brother or sister, or
(b)	Death of any one of the relative mentioned in sub- clause (a), or	**(b)**	Death of any one of the relative mentioned in sub-clause (a); or
(c)	Marriage of son, daughter, brother or sister	**(c)**	Marriage of son, daughter, brother or sister;
(d)	For sowing or harvesting of agricultural crops on his own land provided no other alternative arrangement for the same is available.	**(d)**	For sowing or harvesting of agricultural crops on his own land provided no other alternative arrangement for the same is available.
(e)	For the essential repair of his house provided no other alternative arrangement for the same is available.	**(e)**	For the essential repair of his house provided no other alternative arrangement for the same is available;
(2)	The Government may in special circumstances extend the period of suspension of sentence referred to in sub –rule (1) for a period not exceeding one month.	**(2)**	The Government may in special circumstances extend the period of suspension of sentence referred to in sub – rule (1) for a period not exceeding one month.
		(3)	The District Magistrate of the district to which prisoner belongs may suspend the sentence of a prisoner upto 72 hours on the following grounds:-
		(a)	Death of mother, father, husband or wife, son, daughter, brother or sister;
		(b)	Marriage of son, daughter, brother or sister.

By order,
RAKESH,
Sachiv,
Home, Prisons.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 739 राजपत्र–(हिन्दी)–2013–(3243)–599 प्रतियां–(कम्प्युटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 कारागार–2013–(3244)–1000 प्रतियां–(कम्प्युटर/आफसेट)।